

पीठासीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 231/2023 राजस्व वाद

01. सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भोलाराम रेगर आयु वयस्क निवासी- दोलपुरा तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज0) ----- वादी

बनाम

- 01 कैलाश देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र खटीक आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 02 केसर पुत्री श्री सायरी सरगरा आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
- 03 गंगा पुत्री दोला सरगरा आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
- 04 बालू पुत्र सायरी सरगरा आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
- 05 भंवर पुत्र श्री सायरी सरगरा आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
- 06 रमेश चन्द्र पुत्र श्री भूरा लाल खटीक आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 07 सुखी पुत्री श्री सायरी सरगरा आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
- 08 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
----- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादीगण
-अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक- 13/08/2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम शामिल खालेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामिल होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे

वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1701 मे आराजी नम्बर 3555 रकबा 0.0126 हेक्टर, आराजी नम्बर 3556/1 रकबा 0.2529 हेक्टर, आराजी नम्बर 3557/1 रकबा 0.2023 हेक्टर, आराजी नम्बर 3558 रकबा 0.1265 हेक्टर, आराजी नम्बर 3559/1 रकबा 0.3162 हेक्टर कुल किता 05 रकबा 0.9105 हेक्टर मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम-सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भोलाराम रेगर निवासी-दोलपुरा तहसील देवगढ़ खातेदार वादी के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
1	3555	0.0126 हेक्टर
2.	3556/1	0.2529 हेक्टर
3.	3557/2	0.1995 हेक्टर
4.	3558/1	0.0482 हेक्टर
5.	3559/2	0.0044 हेक्टर
6.	3559/4	0.0902 हेक्टर
7.	3558/3	0.0324 हेक्टर
योग	कुल किता 07	0.6402 हेक्टर

(2) खातेदार का नाम-कैलाश देवी पत्नी रमेश चन्द्र हिस्सा 1/6 खटीक, केसर पुत्री सायरी हि. 1/12 सरगरा गंगा पुत्री दोला हि. 1/3 सरगरा, बालू पुत्र श्री सायरी हि. 1/12 सरगरा, भंवर पुत्र सायरी हि. 1212 सरगरा, रमेश चन्द्र पुत्र श्री भूरा लाल हि. 1/6 खटीक, सुखी पुत्री सायरी हि. 1/12 सरगरा सा. करेड़ा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
1	3559/1	0.2134 हेक्टर
योग	कुल किता 01	0.2134 हेक्टर

(3) खातेदार का नाम-शामलाती बदस्तूर वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 1701 अनुसार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
1	3557/1	0.0028 हेक्टर
2	3558/2	0.0459 हेक्टर

3.	3559/3	0.0082 हैक्टयर
योग	कुल किता 03	0.0569 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(अशीधर सोणी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)